भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2916
उत्तर देने की तारीख-26/03/2025

मध्याह्न भोजन रसोइया-सह-सहायक को मानदेय

2916 **श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) रसोइया-सह-सहायक को दिया जाने वाला मानदेय केवल ₹ 1,000 प्रति माह है;
(ख) क्या सरकार ₹ 1000 में से केवल ₹ 600 का भुगतान कर रही है तथा हाल ही में मानदेय में संशोधन नहीं किया गया है;
(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ₹ 178 प्रतिदिन है, लेकिन मध्याह्न भोजन (एमडीएम) रसोइया-सह-सहायक को केवल ₹ 33 प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है;
(घ) हाल ही में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) रसोइया-सह-सहायक के वेतन में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार की इसे बढ़ाने की कोई योजना है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड.): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना, जिसे पहले 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता था, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों और संघ राजय क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच) की नियुक्ति सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, ये सीसीएच मानद कर्मचारी हैं जो सामाजिक सेवाएं देने के लिए आगे आए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन सीसीएच को उनकी सेवाओं के सम्मान में वर्ष में 10 महीने के लिए 1000/- रुपये प्रति माह का मानदेय निर्धारित किया गया है और इसे जारी रखा जा रहा है। मानदेय व्यय को अनुमोदित साझाकरण पैटर्न के अनुसार केंद्र सरकार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाता है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त निधियां प्रदान करके मानदेय बढ़ाने का अधिकार है और कई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराकर मानदेय में वृद्धि की है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत सीसीएच को प्रदान किए जाने वाले मानदेय का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

माननीय सांसद श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी द्वारा 'मध्याह्न भोजन रसोइया-सह-सहायक को मानदेय' के संबंध में दिनांक 26.03.2025 को पूछा जाने वाला राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2916 के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित अनुलग्नक

रसोइया-सह-सहायक का प्रतिमाह मानदेय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रसोइया-सह-सहायक मानदेय प्रति माह (रु. में)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रसोइया-सह-सहायकों को प्रतिमाह दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	3000	2000
2	अरुणाचल प्रदेश	2000	1000
3	असम	1500	500
4	बिहार	1650	650
5	छत्तीसगढ़	2000	1000
6	गोवा	1000	0
7	गुजरात	3250	2250
8	हरियाणा	7000	6000
9	हिमाचल प्रदेश	4500	3500
10	झारखंड	3000	2000
11	कर्नाटक	3700	2700
12	केरल	12000	11000
13	मध्य प्रदेश	4000	3000
14	महाराष्ट्र	2500	1500
15	मणिपुर	1000	0
16	मेघालय	2000	1000
17	मिजोरम	3000	2000
18	नगालैंड	1000	0
19	ओडिशा	2000	1000
20	पंजाब	3000	2000
21	राजस्थान	2143	1143
22	सिक्किम	1000	0
23	तमिलनाडु	4100-12500	3100-11500
24	तेलंगाना	3000	2000
25	त्रिपुरा	2500	1500
26	उत्तर प्रदेश	2000	1000
27	उत्तराखंड	3000	2000
28	पश्चिम बंगाल	2000	1000
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1000	0
30	चंडीगढ़	4500	3500
31	दादर और नगर एवं दमन और दीव	6461	5461
32	दिल्ली	1000	0
33	जम्मू एवं कश्मीर	1000	0
34	लद्दाख	1000	0
35	लक्षद्वीप	18000-20200	18000-20200
36	पुदुचेरी	10000	9000